प्रेस नोट दिनांक-05.12.2025

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना हथिगवां पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त सत्यम सरोज को गिरफ्तार किया गया-

घटना का विवरण
दिनांक 21.09.2025 को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बरना में पूर्व रंजिशवश वादी पर अभियुक्तगण शिवा सरोज, सत्यम सरोज, राम प्रताप सरोज एवं मनीष सरोज द्वारा लाठी-डंडा व धारदार वस्तु से प्राणघातक हमला किया गया, जिसमें वादी के सिर पर गंभीर चोट आई तथा वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बीच-बचाव करने पहुँचे वादी के भतीजे को भी अभियुक्तगण द्वारा मारपीट कर चोटिल किया गया। शोर-गुल होने पर ग्रामीणों के एकत्र होने पर अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 189/2025 धारा 115 (2)/352/109 (1)/351 (3) बीएनएस बनाम 04 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी हथिगवां श्री सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना हथिगवां के उ0नि0 अजय कुमार मय का गौरव कुमार म0का0 नीलम द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 189/2025 धारा 115 (2)/352/109 (1)/351 (3) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त सत्यम सरोज पुत्र मुनीम सरोज उर्फ पप्पू निवासी ग्राम बरना कल्यानगढ थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 19 वर्ष को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत भगवतीपुर से कल्यानगढ़ की तरफ ट्यूबवेल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. सत्यम सरोज पुत्र मुनीम सरोज उर्फ पप्पू निवासी ग्राम बरना कल्यानगढ थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 19 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अजय कुमार मय का गौरव कुमार म0का0 नीलम थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक-05.12.2025
जनपद प्रतापगढ़।

गैंगस्टर एक्ट के तहत शातिर 01 अभियुक्ता की कुल ₹ 2,01,55,345 (दो करोड़ एक लाख पचपन हज़ार तीन सौ पैंतालीस रुपये) की अवैध संपत्ति की कुर्की का आदेश-

थाना मानिकपुर क्षेत्र के अभियुक्ता रीना मिश्रा पत्नी राजेश मिश्रा द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध चल संपत्ति, जो लगभग ₹ 2,01,55,345 (दो करोड़ एक लाख पचपन हज़ार तीन सौ पैंतालीस रुपये) है, को कुर्क किए जाने हेतु आदेश जारी किया गया है।

धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 के अन्तर्गत की गई कार्रवाई के तहत गैंग की सदस्य अभियुक्ता रीना मिश्रा पत्नी राजेश मिश्रा निवासीगण ग्राम मुन्दीपुर, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध कठोर कदम उठाते हुए माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अवैध सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया-

पूर्व में मानिकपुर पुलिस की छापेमारी से रीना मिश्रा के पास से ₹2 करोड़ से अधिक नकदी व भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया गया था-

माननीय न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा छापेमारी के दौरान रीना मिश्रा के कब्जे से बरामद ₹2,01,55,345/- नकद को वैधानिक परीक्षण उपरांत कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

राजेश और रीना मिश्रा की अवैध चल-अचल संपतियों की पूर्व में हो चुकी है ₹3,06,26,895.50/- (03 करोड से अधिक) की कुर्की

गैंग सदस्य अभियुक्ता रीना मिश्रा पत्नी राजेश मिश्रा के विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़ के थाना मानिकपुर में एनडीपीएस एक्ट, धोखाधड़ी एवं गैंगस्टर एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कठोर कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में—
थाना मानिकपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-67/2025, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्ता रीना मिश्रा पत्नी राजेश मिश्रा,निवासी ग्राम मुन्दीपुर, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ की आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध स्रोतों की चल सम्पत्ति जो लगभग ₹ 2,01,55,345 (दो करोड़

एक लाख पचपन हज़ार तीन सौ पैंतालीस रुपये) है, को कुर्क किए जाने हेतु माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा आदेश पारित किया गया है।

इससे पूर्व में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त एक अंतर्राज्यीय गिरोह के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की गई थी। जेल में बंद गैंग सरगना राजेश मिश्रा के घर पर छापेमारी कर ₹2,01,55,345 नकद, 6.075 किग्रा गांजा तथा 577 ग्राम स्मैक (हेरोइन) बरामद की गई थी। मौके से उसकी पत्नी रीना मिश्रा, पुत्र विनायक मिश्रा, पुत्री कोमल मिश्रा तथा सहयोगी अजीत कुमार मिश्रा व यश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में मु0अ0सं0 240/25 धारा 8/20/22 एनडीपीएस एक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ में अभियोग पंजीकृत किया गया था। माननीय न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा छापेमारी के दौरान रीना मिश्रा के कब्जे से बरामद ₹2,01,55,345/- नकद को वैधानिक परीक्षण उपरांत कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

अभियुक्ता रीना मिश्रा एनडीपीएस एक्ट, धोखाधड़ी व गैंगेस्टर एक्ट सहित कई गंभीर प्रकरण पूर्व से पंजीकृत हैं। पूर्व में मु0अ0सं0–67/2025 के अंतर्गत अभियुक्त राजेश मिश्रा एवं रीना मिश्रा की लगभग ₹3,06,26,895.50 मूल्य की अवैध अर्जित संपत्तियाँ वैधानिक प्रक्रिया के तहत कुर्क की जा चुकी हैं।

आपराधिक इतिहास-

01- अभियुक्ता रीना मिश्रा पत्नी राजेश मिश्रा,निवासी ग्राम मुन्दीपुर, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु.अ.सं.-85/21, धारा-8/20 एनडीपीएस ऐक्ट, थाना मानिकपुर प्रतापगढ़।

02. मु.अ.सं.212/23, धारा-323, 506 भा.द.वि., थाना मानिकपुर प्रतापगढ़।

03. मु.अ.सं. 253/23, धारा-353, 332, 323 भा.द.वि., थाना मानिकपुर प्रतापगढ़।

04. मु.अ.सं. 30/24, धारा-8/20 एनडीपीएस ऐक्ट, थाना मानिकपुर प्रतापगढ़।

05. मु.अ.सं. 67/25, धारा-2/3 गैंगेस्टर ऐक्ट, थाना मानिकपुर प्रतापगढ़।

06. मु0अ0सं0 239/25 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2),3(5),61(2),234,235 बीएनएस थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

07. मु0अ0सं0 240/25 धारा 8/20/22 एनडीपीएस एक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

08. मु0अ0सं0 246/25 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2),3(5),61(2),234,235 बीएनएस थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

नोट- प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा पेशेवर एवं अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं आमजन में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने हेतु ऐसे तत्वों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। वर्तमान में जिनके विरुद्ध प्रमाणित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई जा रही है, उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें संपत्ति कुर्की, गिरफ्तारी, निरोधात्मक कार्रवाई एवं अन्य दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि असामाजिक व आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को कानून का भय बना रहे और आम नागरिक शांति व सुरक्षा के

वातावरण में जीवन व्यतीत कर सकें। कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि यदि उन्हें किसी भी आपराधिक गतिविधि की जानकारी हो, तो तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग को सूचित करें। समाज की सुरक्षा में सभी की भागीदारी आवश्यक है।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त सुल्तान खां को पट्टी पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, पूर्व में 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल-

थाना पट्टी पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 03 अदद डण्डा पेंडरा नहर पुलिया के पास झाडियों से बरामद।

घटना का विवरण-
दिनांक 27.11.2025 को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पेण्डरा में नहर तिराहे पर वादी के भाई को विपक्षीगण द्वारा एकराय होकर लाठी-डण्डों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल किया गया। बीच-बचाव करने पर वादी व अन्य को भी चोटें आयीं। शोरगुल होने पर ग्रामीणों के पहुँचने पर अभियुक्तगण गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गये। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 336/25 धारा 3(5)/115(2)/109(1)/352/351(3) बीएनएस बनाम 07 नामजद व 2-3 व्यक्ति नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है। थाना पट्टी पुलिस द्वारा अब तक कुल 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री अभिषेक कुमार सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 अरविन्द कुमार कुशवाहा मय हमराह मय हमराह का कृष्ण बिहारी सिंह, का० सुनील कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 336/25 धारा 3(5)/115(2)/109(1)/352/351(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त, सुल्तान खां पुत्र अनवर खां निवासी तातो थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 20 वर्ष को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय चौमरी नहर किनारे रोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त की निशानदेही पर पेंडरा नहर पुलिया के पास मजार के पीछे झाडियों से घटना मे प्रयुक्त 03 अदद डण्डा बरामद किया गया।

अभियुक्त का विवरण-
01. सुल्तान खां पुत्र अनवर खां निवासी तातो थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी- घटना मे प्रयुक्त 03 अदद डण्डा बरामद।

पुलिस टीम- उ0नि0 अरविन्द कुमार कुशवाहा मय हमराह मय हमराह का कृष्ण बिहारी सिंह, का० सुनील कुमार थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को थाना लालगंज पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 विवेक कुमार मय हमराह कां0 यतेन्द्र चौधरी, का0 अमर कुशवाहा , का0 नितीश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा धारा 137(2), 87, 64(1), 142 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त सुरेन्द्र सरोज पुत्र विजय सरोज निवासीग्राम दखवापुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत बीजूमऊ नहर की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. सुरेन्द्र सरोज पुत्र विजय सरोज निवासीग्राम दखवापुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 विवेक कुमार मय हमराह कां0 यतेन्द्र चौधरी, का0 अमर कुशवाहा , का0 नितीश कुमार थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना लालगंज के उ0नि0 भुवाल सिंह यादव मय हमराह का0 संदीप सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान एसटी नं0 30/11 अ0सं0 175/08 धारा 147/148/304/452 भादवि थाना लालगंज से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी अभियुक्त समरजीत पुत्र रामगरीब निवासी ग्राम हुलासगढ़ थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -
1. समरजीत पुत्र रामगरीब निवासी ग्राम हुलासगढ़ थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 भुवाल सिंह यादव मय हमराह का0 संदीप सिंह थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।